न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 129/2024(GCMS : 2024/185)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता : 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सक्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **राजकुमार** पुत्र श्री वीर सिंह निवासी वार्ड 01, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001
2. **रूपिन्द्र कौर** पत्नी राजकुमार निवासी वार्ड 01, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर – 335001
3. **राजवीर सिंह** पुत्र श्री करनैल सिंह निवासी 104 मुख्य ग्राम 3 टी, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मून्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजकुमार, रूपिन्द्र कौर एवं राजवीर सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 3.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.11.2016 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 06.03.2024 को 3,22,504/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजकुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 30, पट्टा संख्या 05, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, पंचायत समिति व जिला श्रीगंगानगर–335001 जिसके उत्तर दिशा में जग्गा सिंह, [illegible] सिंह, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में भाग सिंह, पश्चिम दिशा में सुरजीत ... है जिसका साइज 2000 वर्गफुट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण राजकुमार, रूपिन्द्र कौर एवं राजवीर सिंह** को ऋण सुविधा के रूप में 3.00/— लाख रूपये **(अखये रूपये तीन लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 30.11.2016 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राज कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड संख्या 30, पट्टा संख्या 05, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, पंचायत समिति व जिला श्रीगंगानगर–335001 जिसके उत्तर दिशा में जग्गा सिंह, चरण सिंह, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में भाग सिंह, पश्चिम दिशा में सुरजीत है जिसका साईज 2000 वर्गफुट है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.03.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी राजकुमार की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 30, पट्टा संख्या 05, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, पंचायत समिति व जिला श्रीगंगानगर–335001 जिसके उत्तर दिशा में जग्गा सिंह, चरण सिंह, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में भाग सिंह, पश्चिम दिशा में सुरजीत है जिसका साईज 2000 वर्गफुट है,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.03.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.03.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.03.2024 को भिजवाये गये थे, जिसके प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **राज कुमार** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible] फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अंतर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **राज कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/[illegible]नी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:58 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड संख्या 30, पट्टा संख्या 05, 10 जी छोटी, ग्राम पंचायत 27 जीजी, पंचायत समिति व जिला श्रीगंगानगर–335001 जिसके उत्तर दिशा में जग्गा सिंह, चरण सिंह, दक्षिण दिशा में गली, पूर्व दिशा में भाग सिंह, पश्चिम दिशा में सुरजीत है जिसका साईज 2000 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested